



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 12.07.2021

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा घरों में चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 2 जोड़ी पाजेब व 2 सिक्के (सफेद धातु के)बरामद।

थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2021 को 01 चोर अभियुक्त जाहिद पुत्र मन्जुर अहमद निवासी पीपल वाली मस्जिद कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर को भट्टा रोड कटहैरा के पास से चोरी की दो जोड़ी पाजेब दो सिक्के शफेद धातु के साथ गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण-

1. जाहिद पुत्र मन्जुर अहमद निवासी पीपल वाली मस्जिद कस्बा व थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 248/2021 धारा 380/411 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

02 जोड़ी पाजेब व 2 सिक्के सफेद धातु के



2-थाना दनकौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व एक सेन्ट्रों कार बरामद।

थाना दनकौर पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2021 को मु0अ0स0 251/21 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्त 1- विनोद खारी पुत्र लायक राम निवासी ग्राम तिलपता थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर 2-अमित मावी पुत्र स्व. धूम सिंह मावी निवासी मोहल्ला आलम खानी मेन रोड बिलासपुर थाना दनकौर को मय (आला कल्ल) एक तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस 315 बोर के अलौंदा की पुलिस बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त कार सेंट्रो लाल रंग नंबर एचआर 26 एएच 6217 को भी बरामद किया गया है।

घटना का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 11.07.2021 को प्लाट के विवाद के कारण संदीप पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम चचूरा की मंगतराम कालोनी खेरली हाफिजपुर में गोली मारकर हत्या की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना दनकौर पर मु0अ0स0 251/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण-

- 1- विनोद खारी पुत्र लायक राम निवासी ग्राम तिलपता थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
- 2-अमित मावी पुत्र स्व. धूम सिंह मावी निवासी मोहल्ला आलम खानी मेन रोड बिलासपुर थाना दनकौर

अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 251/21 धारा 302 भादवि थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1.01 कार सेंट्रो लाल रंग नंबर एचआर 26 एएच 6217

2.एक तंमचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस



3- थाना रबूपुरा पुलिस व लुटेरे बदमाशों के बीच पुलिस मुठभेड के दौरान 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी एक मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन, 02 हजार रूपये नकद, 01 पर्स व अवैध शस्त्र बरामद।

थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2021 को पुलिस मुठभेड के दौरान मोटर साइकिल सवार 03 अभियुक्त फलैदा अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 04.07.2021 को विधुत उपकेन्द्र रबूपुरा के राजस्व प्रभारी सतेन्द्र प्रताप सिंह एवं अवर अभियन्ता बृजकिशोर राय से तमंचो के बल पर एक मोटरसाइकिल व 04 अदद मोबाइल फोन तथा करीब रू0 17,000/- की लूट की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पर मु0अ0स0 195/2021 धारा 392 भादवि पंजीकृत है तथा दिनांक 12.05.2021 को ग्राम भाईपुर की वादिया का बैग व पर्स (जिसमें एक मोबाइल फोन व नकदी रखी थी) को रबूपुरा से भाईपुर जाते समय खेडा पुल के पास से चोरी कर लिये गये थे जिसके सम्बन्ध में थाना रबूपुरा पर मु0अ0स0 103/2021 धारा 379 भादवि0 में पंजीकृत है

अभियुक्तों का विवरण-

1.उम्मेद पुत्र नजर खां नि0 ग्राम मेहंदीपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

2.अमन पुत्र रियाजुद्दीन नि0 ग्राम मेहंदीपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

3.अब्दुल्ला पुत्र इंसाद नि0 पलाका थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

- 1.मु0अ0स0 195/2021 धारा 392 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0स0 103/2021 धारा 379, 411 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0स0 207/2021 धारा 307,411 भादवि थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर
- 4.मु0अ0स0 208/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0स0 209/2021 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

- 1.एक तमंचा देशी 12 बोर व दो कारतूस 12 बोर,
- 2.एक तमंचा 315 बोर व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर,
3. 03 मोबाइल फोन,
- 4.रू0 2000 नकद
5. लूट से सम्बन्धित मोटर साइकिल
6. एक पर्स



4- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा पैरोल पर आया 12 वर्ष से फरार चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2021 को पैरोल पर 12 साल से फरार अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र रामफूल निवासी ग्राम खेडी थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को डिफेन्स कालोनी थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर केन्द्रीय कारागार आगरा हेतु भेजा गया है।

अभियुक्त का विवरण:

अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र रामफूल निवासी ग्राम खेडी थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 182/81 धारा 364/302 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर



6- थाना फेस 3 पुलिस द्वारा वाहन चोरी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2021 को मु0अ0सं0 971/2018 धारा 379 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त सैकी पुत्र रामसिंह निवासी म0 न0 104 सी व्लाक सिद्धार्थ बिहार बागू थाना विजयनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-

अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.07.2018 को वादी की मोटर साइकिल चोरी की घटना कारित की गयी थी। अभियुक्त के साथी मोटर साइकिल सहित पूर्व में गिरफ्तार किये जा चुके है। गिरफ्तार अभियुक्त मु0अ0स0 971/2018 धारा 379 भादवि में वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अभि0 सैंकी पुत्र रामसिंह निवासी म0 न0 104 सी व्लाक सिद्धार्थ बिहार बागू थाना विजयनगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

मु0अ0सं0 971/2018 धारा 379 /411 भादवि थाना फेस-3 नोएडा



5- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चोरी का प्रयास करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू व 01 सरिया बरामद।

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2021 को चोरी का प्रयास करने 03 वाले अभियुक्त 1. नितिन पुत्र किरनपाल नि0-म0नं0-59 डी छलैरा सै0-45 थाना सै0-39 जीबीएन, 2. मंगल सैन पुत्र हीरालाल नि0-मौ0मटरिया गांव इस्लाम नगर थाना इस्लाम नगर जि0 बदायूं वर्तमान निवासी धर्मवीर भाटी का मकान पीर वाली गली गांव तिलपता करनवास

थाना सूरजपुर, 3. देवेन्द्र शर्मा पुत्र उमेश शर्मा नि0-गांव बकुआ थाना भेजा जिला मधुबनी बिहार वर्तमान निवासी धर्मवीर भाटी का मकान पीर वाली गली गांव तिलपता थाना सूरजपुर जीबीएन को सूर्या एन्क्लेव यूपीएसआईडीसी साईट सी स्थित खाली प्लाट से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. नितिन पुत्र किरनपाल नि0-म0नं0-59 डी छलैरा सै0-45 थाना सै0-39 जीबीएन,
2. मंगल सैन पुत्र हीरालाल नि0-मौ0मटरिया गांव इस्लाम नगर थाना इस्लाम नगर जि0 बदायूं वर्तमान निवासी धर्मवीर भाटी का मकान पीर वाली गली गांव तिलपता करनवास थाना सूरजपुर जीबीएन
3. देवेन्द्र शर्मा पुत्र उमेश शर्मा नि0-गांव बकुआ थाना भेजा जिला मधुबनी बिहार वर्तमान निवासी धर्मवीर भाटी का मकान पीर वाली गली गांव तिलपता थाना सूरजपुर जीबीएन

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु.अ.स. 531/21 धारा 398/401 भादवि थाना सूरजपुर बनाम नितिन व मंगल सैन, व देवेन्द्र शर्मा उपरोक्त
- 2.मु.अ.स. 532/21 धारा 4/25 भादवि थाना सूरजपुर बनाम मंगल सैन उपरोक्त

बरामदगी:

एक अवैध चाकू

एक सरिया



6- थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन/मोबाइल फोन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 02 मोबाइल फोन, एक चोरी की मोसा पैशन प्रो व 02 अवैध चाकू बरामद।

थाना फेस 3 पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2021 को गढ़ी चौखन्डी की तरफ से आने वाले रास्ते से 02 वाहन/मोबाइल चोर 1.विवेक चौहान पुत्र सतपाल सिंह निवासी लेबर चौक वाटर सप्लाई पम्प के पास सै0 62 थाना सै0 58 नोएडा स्थाई पता ग्राम नगरिया थाना आवला जनपद बरेली उ0प्र0 2. रोशन कुमार चौधरी उर्फ गुलशन पुत्र निर्मल चौधरी उर्फ बाल किशन निवासी प्रगति बिहार लेबर चौक सै0 62 नोएडा स्थाई पता वन्दना एक्लेब खोडा कालोनी थाना थाना खोडा गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है।

घटनाक्रम:-

अभि0 एनसीआर व थाना क्षेत्र से आये दिन वाहन व मोबाइल चोरी जैसी घटना कारित करते है व रात में अंधेरे का फायदा उठाकर आम जनता के आते जाते व्यक्तियों को चाकू दिखाकर डराते है और उनसे मोबाइल चोरी व झपट्टा मारकर छीन लेते है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.विवेक चौहान पुत्र सतपाल सिंह निवासी लेबर चौक वाटर सप्लाई पम्प के पास सै0 62 थाना सै0 58 नोएडा मूल निवासी ग्राम नगरिया थाना आवला जनपद बरेली उ0प्र0
- 2.रोशन कुमार चौधरी उर्फ गुलशन पुत्र निर्मल चौधरी उर्फ बाल किशन निवासी प्रगति बिहार लेबर चौक सै0 62 नोएडा मूल निवासी वन्दना एक्लेब खोडा कालोनी थाना खोडा गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

अभि0 विवेक चौहान का

मु0अ0सं0 696/2021 धारा 414 भादवि थाना फेस 3 नोएडा

मु0अ0सं0 697/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम विवेक चौहान उपरोक्त

मु0अ0सं0 105/19 धारा 392/411 भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा

मु0अ0सं0 169/19 धारा 414/420 भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा

मु0अ0सं0 184/19 धारा 392 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

अभि0 रोशन कुमार चौधरी

मु0अ0सं0 696/2021 धारा 414 भादवि थाना फेस 3 नोएडा

मु0अ0सं0 698/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम थाना फेस-3 नोएडा

मु0अ0सं0 105/19 धारा 392/411 भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा

मु0अ0सं0 169/19 धारा 414/420 भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा

मु0अ0सं0 184/19 धारा 392 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 मोबाइल फोन
2. एक मो0सा0 रजि0 नं0 डीलए 3एसई यू 0234 पैशन प्रो रंग ब्लू (सम्बन्धित मु0अ0सं0 017298 थाना म्यू पुलिस स्टेशन न्यू अशोक नगर ईस्ट दिल्ली)
3. 02 अवैध चाकू



7- थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मृतक की पीली धातू की अंगूठी बरामद।

थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2021 को हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त राज ग्वाला उर्फ जितेन्द्र यादव पुत्र जगनारायण यादव निवासी कुंज नगर सिनेमा मालिक का मकान झुलान चौक थाना सिमडेगा झारखण्ड मूल निवासी चक्की थाना बरहपुर जिला बक्सर बिहार को मोरना बस स्टैण्ड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर 24 पर पंजीकृत मु0अ0स0 371/2021 धारा 302/201/404/34 भादवि में वांछित चल रहा था।

घटना का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 16.05.2021 को राज कूजूर की हत्या अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सैक्टर 24 नोएडा पर मु0अ0स0 371/21 धारा 302/24 भादवि पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के 03 साथी 1.गोविन्द 2.ध्रुव कुमार 3. संजय को दिनांक 23.05.2021 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1-राज ग्वाला उर्फ जितेन्द्र यादव पुत्र जगनारायण यादव निवासी कुंज नगर सिनेमा मालिक का मकान झुलान चौक थाना सिमडेगा झारखण्ड मूल निवासी चक्की थाना बरहपुर जिला बक्सर बिहार

आपराधिक इतिहास/अभियोग का विवरण-

1-मु0अ0स0 371/21 धारा 302/201/404/34 भादवि थाना सेक्टर 24

2-मु0अ0स0 26/17 धारा 363/370(5)/35 भादवि व 75/81 जे0जे0 एक्ट थाना सिमडेगा झारखण्ड

3-मु0अ0स0 5/20 धारा 363/370(5) भादवि व 75/81 जे0जे0 एक्ट थाना सिमडेगा झारखण्ड

बरामदगी का विवरण

मृतक राज कुजूर की पीली धातू की अंगूठी

